F.No.7(23)-E.TTI/84 GOVERNMENT OF INDIA Ministry of Finance (Department of Expenditure)

New Delhi, the 28th March 1984.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Cost recovery under FR 127 in respect of common categories of posts-regarding.

In case of an addition made to a regular establishment on the condition that its cost, or a definite portion of its cost, shall be recovered from the persons for whose benefit the additional establishment is created, FR 127 contains the enabling provisions for effecting cost recovery in such cases. The average annual cost usually taken in respect of the posts of Peon, LDC, UDC, Assistant and Section Officer does not take into account incidences on account of supporting staff etc.

The question of including incidences on account of supporting staff etc. also, for the purposes of effecting cost recovery under FR 127, has been under consideration of the Govt. for some time. The President is now pleased to decide that cost recovery in respect of the posts of Peon, LDC, UDC, Assistant and Section Officer under FR 127 shall be effected on the basis of actual cost (inclusive of incidences of supporting staff etc.) to be derived in the following manner:

Peon	Average	annual cost	usually taken	x 2.00
LDC	В			X 1.90
UDC	. 11	п	a	X 1.95
Assistant	4	D	u	X 2.00
Section Of	ficer "	11	u	X 1.70

This Office Memorandum will take effect from the date of its issue.

Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with C&AG vide their U.O.No. 208- Audit/10-81 dated 1-3-84.

P. Clan

Deputy Secretary to the Government of India

To,
All Ministries/Departments of Government of India

......2/-

No.F.7(23)-E.III/84

the 28th March, 1984. Dated

Copy forwarded to:-

C&AG of India, New Delhi with reference to their U.O. No.208-Audit/10-81 dated 1-3-84.

UPSC New Delhi.

Election Commission, New Delhi.

Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

Supreme Court of India, New Delhi.

All State Governments and Union Territory Administrations.

Central Vigilance Commission, New Delhi.

7. Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 8. New Delhi.

9. Ministry of Defence (Finance Division) New Delhi. 10. Railway Board, New Delhi.

11. President's Secretarist/Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/Cabinet Secretariat.

12. Office of the Military Secretary to the President.

13. Planning Commission, New Delhi.

- 14. Secrétary, Staff Side, National Council, 13-C Ferozeshah Road, New Delhi.
- 15. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM.
- 16. All India Services Division, Department of Personnel
- 17. All Integrated Financial Advisers of Administrative
- 18. Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers of all Ministries/Departments.
- 19. Controller General of Accounts, Ministry of Finance.
- 20. All Offices/Branches in the Department of Expenditure. 21. Pay and Accounts Officers, Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt. 22. Department of Personnel and AR (Estt.P-I/P.II).

(R.C.Puri)

Deputy Secretary to the Government of India

एफ संख्या-7 § 23 § -संस्था । 11/84 भारत सरकार वित्त मेंत्राल्य व्यय विभाग

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1984

कायं लियं जीपन

विषय: सामान्य श्रेणियों के पदाँ के बारे में मूल नियम 127 के अन्तर्गत लागत वसूली का किया जाना।

किसी नियम्मित संस्थापन में इस शर्त पर की गई वृद्धि के मामले में कि उसकी लागत, अथवा उसकी लागत के एक निश्चित हिस्से की वसूली उन व्यक्तियाँ से की जायेगी जिन लाभ के लिए अतिरिक्त संस्थापन को बनाया गया था, ऐसे मामलों में लागत वसूली किए जाने के लिए मर्थकारी व्यवस्थाएं मूल नियम 127 में की गई हैं। चपरासी, अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक और अनुभाग अधिकारी के पदों के संबंध में ली गई औसत वर्षिक लागत में प्रायः सहायक कर्मचारियाँ, आदि के कारण होने वाले प्रभारों को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

2. मूल नियम 127 के अन्तर्गत लागत वसूली के प्रयोजन के लिए सहायक कर्मवारियाँ, आदि के कारण होने वाले पंशाराँ को शामिल करने का पृथन भी कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। राष्ट्रपति जी ने अब यह निर्णय किया है कि चपरासी, अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक और अनुभाग अधिकारी के पदों के संबंध में मूल नियम 127 के अन्तर्गत लागत वसूली, वास्तविक लागत सहायक कर्मचारियाँ, आदि के पृथारों सहित है के आधार पर नीचे दिए गए तरीके के अनुसार हिसाब लगाकर की जायेगी:

चपरासी .	प्राय:	हिसाब	में ली	जाने	वाली	औसत	वार्षिलागत	x2. 00
अवर श्रेणी लिपिक				•				×1. 90
उच्च श्रेणी लिपिक	•			•			•	x1.95
सहायक				•				x2. 00
अनुभाग अधिकारी	•			•				×1.70

उ. यह कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से लागू होगा !

जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा जीर लेखा विमाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, के अदिश नियंत्रक महलेखा अरिशक के दिनांक 1.3.1934 की अनीपचा रिक संख्या 208 -लेखा-परीक्षा / 10-81 के अन्तर्गत उनके साथ परामर्भ करके जारी किए गए हैं।

ての一日の気

जनभाय अधिकारी

अगर०सी०पुरी
 अगर०सी०पुरी
 अगरित सरकार

तेवा में, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि आदि।

तंख्या स्फ 7 §23 §-संस्था III /84 दिनांक 28 मार्च, 1984

के पड़ा सपमा नहें हैं निह है निहा है :

विष्या है कि किए क्षिकारी व्यवस्थाएं मूल निषये 127 में की का कि है निम्नितिक को प्रतिनिधि प्रेषित: कि का का का कि विशे कि के हैं कि का का कि

्रुअंग्रेजी की मानक सूची के अनुसार रू

मूल नियम 127 के अन्तर्गत जागत बतुला के प्रयोजन के तिस तहायक करिया । अगाद हे वारणं होने वाले पुंचार है को बार्राज करने का प्रथम भी हुए तथा है तरकार है विवाहरायोन रहा है। राष्ट्रपति जी ने अब यह निर्णय किया है कि व्यवहाती, अवर वर्णी लिपि, उस्य श्रेणी निपिक, सहायक और अनुसान अधिकारी के पदी है में थ में जून निपम 127 के उन्तर्गत लागतः व्यूगी, वास्तर्गक लागत्र महाधक कर्मवारियाँ, आदि के एकार्ष तिहत्र के आधार पर मीचे विष ग्रह वरीके के अनुसार दिवाब समावर की जाहारि :

हिसाब में ली वाने वाली जीटत वार्षिक्तामत \$0.9×

Ct.X

x | 25 इस्स क्षेपी लिएस ra .Sx

曹丁。人

पान का गांक है जारा के हीन है। हो तार के नार है